न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—12/24 दायर दिनांक:— 22.10.2024

जीसीएमएस नं. 2024/511

1. रामा देवी पत्नि स्व० श्याम उम्र 60 साल
2. महेश पुत्र स्व० श्याम उम्र 30 साल
3. मुंशी पुत्र स्व० श्याम उम्र 27 साल
4. भगवान सिंह पुत्र स्व. श्याम उम्र 34 साल
5. मोहनदेई पुत्री स्व० श्याम पत्नि बलराम उम्र 32 साल
6. गुड्डी पुत्री स्व0 श्याम पत्नि करण उम्र 36 साल
7. मिथलेश पुत्री स्व. श्याम पत्नि हरि उम्र 38 साल

} जाति माली निवासी करसौली हालवासी बालाजी रोड सैनी कॉलोनी टोडाभीम

——प्रार्थीगण / अपीलान्टस—

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत करसौली पं०स० हिण्डौन जिला परिषद करौली
2. चन्द्रा पत्नि स्व. श्याम
3. मुकेश पुत्र स्व. श्याम
4. राजेश पुत्र स्व. श्याम

} जाति माली निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली

5. ललिता पुत्री स्व. श्याम पत्नि बसन्तराम जाति माली निवासी करसौली हालवासी कंचनपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर अप्राथीगण / रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध नामांतकरण नम्बरी 519 तारीखी 06.08.2021
ग्राम पंचायत करसौली, पचायत समिति
हिण्डौन, जिला—करौली (राज0)

उपस्थित —1.रामखिलाडी सैनी अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक:— 27-3-25

प्रार्थना पत्र विरूद्ध अपील नामांतकरण में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की पैत्रिक पुस्तैनी भूमि खसरा नम्बर 948 रकवा 04 ऐयर, 904 रकवा 03 ऐयर, 1128 रकवा 12 ऐयर, 1129 रकवा 13 ऐयर, 1130 रकवा 14 ऐयर, 1131 रकवा 30 ऐयर, 1132 रकया 40 ऐयर, 1133 रकया 34 ऐयर, 1192 रकवा 33 ऐयर, 1193 रकवा 26 ऐयर, 1194 रकया 05 ऐयर, 1195 रकवा 05 ऐयर, 1205 रकवा 38 ऐयर, 1206 रकवा 24 ऐयर, 1207 रकवा 32 ऐयर, 891 रकवा 09 ऐयर, 941 रकवा 78 ऐयर, [illegible] रकवा 19 ऐयर, कुल किता 18 कुल रकवा 4.18 हैक्टेयर वाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात मृतक श्याम को अपीलान्टस एवं रेस्पोडेंट 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:27 IST
Reason: SelfAttested

ता 5 के पूर्वज दादाजी मृतक हउवा पुत्र गुद्ठल से विरासत में प्राप्त हुई थी जिसमें मृतक श्याम का बहिस्सा 5/54 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है।

मुताबिक सजरा के मृतक श्याम की पहली पत्नि परामा देवी के 3 पुत्र व 3 पुत्रियों है तथा दूसरी पत्नि चन्द्रा के 2 पुत्र व एक पुत्री है कुल 11 जायज कानूनी वारिसान मृतक श्याम के है जो सभी जीवित है और श्याम के तर्के पर काबिज व दखील है।

रेस्पोडेंट नं० 2 ता ने रेस्पोडेंट नं० 1 सरपंच पर वोटो की राजनीति का दबाब बनाकर के केवल रेस्पोडेंट 2 ता 5 के नाम से ही वारिसान का सजरा बनवा लिया तथा रेस्पोडेंट नं0 2 ने 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सशपथ लिखा है कि हमारे अलावा अन्य वारिसान मृतक श्याम के नहीं हैं। शपथ पत्र एवं सरपंच द्वारा फर्जी व कूट रचित जाली सजरा को नामान्तकरण खुलवाये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश कर अपने हक में नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही की गई थी।

हल्का पटवारी द्वारा सरपंच के द्वारा जारी सजरा व रेस्पोडेंट नं0 2 के शपथ पत्र के आधार पर ही बिना जाँच किये ही मृतक श्याम के वारिसान रेस्पोडेंट 2 ता 5 के हक में नामान्तकरण संख्या 519 तारीखी 20.07.2021 को भरा गया और हल्का गिरदावर द्वारा बिना जाँच किये वारिसान के दिनांक 04.08.2021 को जाँच रिपोर्ट का अंकन उक्त नामान्तकरण पर दर्ज कर दिया तथा दिनांक 06.08.2021 को रेस्पोडेंट नं० 1 सरपंच ने मृतक श्याम के वारिसान अपीलान्टस की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी उक्त नामान्तकरण को स्वीकार कर फैसल कर दिया और मृतक श्याम की भूमि रेस्पोडेंट नं0 2 ता 5 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई और अपीलान्टस अपने पैत्रिक हिस्से की भूमि से वंचित हो गये।

सरपंच ग्राम पंचायत करसीली द्वारा फैसल किया गया नामान्तकरण संख्या 519 तारीखी 06.08.2021 प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

उक्त नामान्तकरण जरिये [illegible] ग्राम पंचायत करसौली द्वारा प्रार्थीगण/अपीलान्टस को बिना सुने एवं बिना जाँच किये तथा बिना रिकार्ड अवलोकन किये मनमर्जी से राजनैतिक रंजिश के तौर पर साजवश रेस्पोडेंट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:27 IST
Reason: SelfAttested

फैसल किया गया है जो कानूनन बिल्कुल गलत अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है जिसे हर स्तर पर खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा दिनांक 07.10.2024 को जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त खोले गये अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी नामान्तकरण के बारे में जानकारी हुई तो उसी दिन प्रार्थीगण द्वारा नामान्तकरण जेरे अपील की नकल ली तथा उसके साथ संलग्न शपथ पत्र एवं सजरा वारिसान जो सरपंच द्वारा जारी किया गया एवं प्रार्थना पत्र नामान्तकरण खोले जाने की भी नकल ली तब प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खातेदारी अपने हक में कराने का श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन को दिया तो तहसीलदार जी ने प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करो इस प्रकार प्रार्थीगण / अपीलान्ट को उक्त अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त अपील को सुनने एवं फैसल करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान प्यायालय हाजा में ही निहित है। अपील एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश कर निवेदन है कि नागान्तकरण संख्या 519 तारीखी 06.08.2021 को खारिज फरमाया जाकर भूमी आराजी खसरा नम्बर 948 रकवा 04 ऐयर, 964 रकवा 03 ऐयर, 1128 रकवा 12 ऐयर, 1129 रकवा 13 ऐयर, 1130 रकवा 14 ऐयर, 1131 रकवा 30 ऐयर, 1132 रकवा 40 ऐयर, 1133 रकवा 34 ऐयर, 1192 रकवा 33 ऐयर, 1193 रकवा 25 ऐयर, 1194 रकवा 05 ऐयर, 1195 रकवा 05 ऐयर, 1205 रकवा 38 ऐयर, 1206 रकवा 24 ऐयर, 1207 रकवा 32 ऐयर, 891 रकवा 09 ऐयर, 941 रकवा 78 ऐयर, 965 रकवा 19 ऐयर, कुल किता 18 कुल रकवा 4.18 हैक्टेयर वाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में निहित मृतक श्याम का हिस्सा 5/54 भाग में अपीलान्टस के हक में मुताबिक मुतजिक्रा मद नं० 2 अपील में दर्ज सजरा के हिस्सा अनुपात में पुनः नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमाये जावे। जिसकी पालना हेतु एक तहरीरी रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन को जारी हो।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस 1 ता 5 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ, रैस्पोन्डेन्ट के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर [illegible] दिनांक 17.02.2025 द्वारा रैस्पोन्डेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:27 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्टने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी , नकल नामांतकरण संख्या 519 दिनांक 06.08.2021 ग्राम पंचायत करसौली, नकल फोटो प्रति जमाबंदी

संवत 2058 से 2061 ग्राम करसौली, नकल वोटर आईडी, निर्वाचन आयोग ग्राम करसौली, नकल वोटर इनफोरमेशन, नकल अंक तालिका, मुंशी माली पुत्र श्याम माली निवासी करसौली, नकल आधार कार्ड मुंशी माली पुत्र श्याम, नकल आधार कार्ड महेश पुत्र श्याम, नकल राशन कार्ड मुंशी पुत्र श्याम, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक श्याम, नकल शपथ पत्र चंदा पत्नि श्याम तारीखी 24.06.2021 नकल सजरा गांम पंचायत करसौली, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्वाचक नामावली वर्ष 2004 ग्राम करसौली श्याम पुत्र हौवाराम, रामा पत्नि चन्दरादेवी, चन्दरादेवी पत्नि श्याम, प्रमाणित मतदाता सूची ग्राम करसौली, नकल मतदाता सूचना अपीलांट रामा, फोटो प्रति आधार कार्ड महेश पुत्र श्याम, फोटो प्रति आधार कार्ड मुंशी पुत्र श्याम, फोटो कॉपी आधार कार्ड भगवान सिंह पुत्र श्याम सिंह, फोटो कॉपी मिथलेश पत्नि हरीसैनी, फोटो कॉपी आधार कार्ड गुड्डी देवी पत्नि करन सैनी, फोटो कॉपी आधार कार्ड मोहन देई पत्नि बलराम सैनी, फोटो कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र श्याम पुत्र हउआ माली पेश किये गये।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादित आराजी आराजी खसरा नम्बर 948 रकवा 04 ऐयर, 964 रकवा 03 ऐयर, 1128 रकवा 12 ऐयर, 1129 रकवा 13 ऐयर, 1130 रकवा 14 ऐयर, 1131 रकवा 30 ऐयर, 1132 रकवा 40 ऐयर, 1133 रकवा 34 ऐयर, 1192 रकवा 33 ऐयर, 1193 रकवा 25 ऐयर, 1194 रकवा 05 ऐयर, 1195 रकवा 05 ऐयर, 1205 रकवा 38 ऐयर, 1206 रकवा 24 ऐयर, 1207 रकवा 32 ऐयर, 891 रकवा 09 ऐयर, 941 रकवा 78 ऐयर, 965 रकवा 19 ऐयर, कुल किता 18 कुल रकवा 4.18 हैक्टेयर वाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से निहित मृतक श्याम का हिस्सा 5/54 अपीलांट के हक में वाद पत्र में दर्ज सजरा के हिस्सा अनुपात में नामांतकरण खोले जाना एवं प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दुओं पर वादपत्र में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 519 फैंसल दिनांक 06.08.2021 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 519 दिनांक 06.08.2021 ग्राम पंचायत करसौली को निरस्त किया जाता है, तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि मृतक श्याम के विधिक वारिसों में नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27-3-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:27 IST
Reason: SelfAttested